रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245091
CG-DL-E-11042023-245091

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
No. 219] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

**सा.का.नि. 280(अ).—**सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियमावली, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिनमें केंद्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती है;

2. आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग), द्वितीय तल, आईआरसीएस भवन, रेड क्रॉस, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भेजा जा सकता है। [ई-मेल: sn.jasra38@nic.in या mohita.saxena@gov.in]

3. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## प्रारूप नियम

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ–** (1) इन नियमों को सरोगेसी (विनियम) संशोधन नियमावली 2023 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सरोगेसी (विनियमन) नियम 2022 में, नियम 2 निम्नानुसार पढ़ा जाए :-

"परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो; -

(क) 'अधिनियम' से सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) अभिप्रेत है;

(ख) 'प्ररूप' से इन नियमों से जुड़ा प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) 'धारा' से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है;

(घ) 'भारतीय मूल के जोड़े' से वह दंपति अभिप्रेत है जहां पति (पुरुष) और पत्नी (महिला) दोनों ही सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार विभिन्न मानदंडों को पूरा करने के अधीन गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा समय-समय पर पालन किए जा रहे अनुदेशों/ नियमों/ दिशानिर्देशों/ अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक हैं;

(ङ) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके अर्थ क्रमशः अधिनियम में निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. यू.11019/15/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 21 जून 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 772 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

**(Department of Health Research)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2023

**G.S.R. 280(E).—**The following draft of the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2023, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the join secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health Research), 2nd floor IRCS Building, Red Cross, New Delhi-110001.[e-mail- sn.jasra38@nic.in or mohita.saxena@gov.in ]

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

**DRAFT RULES**

**1. Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulations) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, the rule 2 may be read as under: -

“Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires; -

(a) ‘Act’ means the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021);

(b) ‘form’ means a form appended to these rules;

(c) ‘section’ means a section of the Act;

(d) 'Couple of Indian Origin' means the couple where both husband(male) and wife(female) are Overseas Citizens of India(OCI) cardholders in accordance with the Instructions/Rules/Guidelines/Acts being followed by the Ministry of Home Affairs(MHA) from time to time subject to fulfilment of various criteria as per Surrogacy (Regulation) Act, 2021;

(e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act."

[F. No. U.11019/15/2022-HR]

GEETA NARAYAN, Jt. Secy.

**Note:** The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide notification number G.S.R.460 (E), dated the 21st June, 2022 and subsequently amended vide notification number G.S.R.772 (E), dated the 10th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA